

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 99/2017 राजस्व अपील

1. नानगराम } पि0 रामनिवास जाति बैरवा निवासी देवरी तहसील सिकराय जिला
2. गंगाराम } दौसा उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय दिनांक 24.08.2015
प्रकरण सं. 20/2015 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम नानगराम आदि अन्तर्गत धारा 91
राजकीय लैण्ड रै0ए0


उपस्थिति : श्री रामकेश बैरवा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:- निर्णय :-

दिनांक: 10.01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम देवरी तहसील सिकराय संवत् 2071 में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 359 रकबा 03 बिस्वा पर मकान व बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 24.08.2015 पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 24.08.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।


अति० जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलांत को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त द्वारा किसी भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्त का किसी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम देवेरी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 359 रकबा 03 बिस्वा पर मकान व बाड़ा का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 24.08.2015 पारित कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा बहस के दौरान अपीलान्त का किसी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्त द्वारा ग्राम देवेरी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 359 रकबा 03 बिस्वा पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं




अति० जिला कलेक्टर
जहानाबाद


प्रकरण संख्या : 99 / 2017 राजस्व अपील

भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र तहसीलदार सिकराय के समक्ष प्रस्तुत करने एवं तहसीलदार सिकराय द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित हो तो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2015 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 10.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा


(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा